राजस्थान के किसानों के लिये 736 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

4 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण देने के लिये 736 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने किसानों के लिये ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य के किसान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा जीवन स्तर बेहतर होगा।
- दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही खेत में ही आवास बनाने वाले किसानों को भी आवास ऋण पर अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।
- इसमें, एक अप्रैल 2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों को निश्चित समय पर चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 से अपने खेत पर आवास बनाने हेतु आवास ऋण लेने वाले किसानों को भी प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिये ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना तथा ब्याज अनुदान के संबंध में घोषणा की थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rs-736-crore-interest-subsidy-approved-for-the-farmers-of-rajasthan